



2026:AHC:8538

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 187 वर्ष 2026

स्नेह पांडे

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

..... प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता

: पुनीत कुमार

प्रतिवादी के अधिवक्ता

: मुख्य शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. सुना गया।

2. रिट याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि रिट याचिकाकर्ता के पिता स्वर्गीय सत्यनारायण पांडे, एक चौकीदार के रूप में काम कर रहे थे और उनकी मृत्यु 08.03.2006 को हुई थी। रिट याचिकाकर्ता अनुकंपा नियुक्ति का दावा करता है।

3. दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि रिट याचिकाकर्ता के दावे को प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा सबसे पहले निर्धारित करने की आवश्यकता है।

4. न्यायालय में इस तरह की गई प्रस्तुतियों पर विचार करते हुए, रिट याचिका का निस्तारण रिट याचिकाकर्ता को रिट याचिका की स्व-प्रमाणित प्रति और प्रतिवादी संख्या 3, मुख्य चिकित्सा

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अधिकारी दुर्गाकुंड, जिला वाराणसी के समक्ष आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ एक व्यापक प्रत्यावेदन को वरीयता देने का निर्देश दिया गया है, जो उक्त प्रस्ताव पर आदेश की प्रमाणित प्रति के उत्पत्ति के साथ दो माह के भीतर विधि के अनुसार रिट याचिकाकर्ता के दावे पर सख्ती से विचार करने के लिए आगे बढ़ेंगे।

आदेश दिनांक: जनवरी 13, 2026

एन.एस.राठौर

(माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

Translated version, Not for Legal Use.

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।